न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/103

सूरजमल आयु 65 वर्ष आत्मज श्री रामगोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप चौधरी उर्फ नेता ठेकेदार आत्मज नामालूम जाति जाट निवासी गुराई वालों का मकान वार्ड नम्बर 15 इण्डेन गैस एजेन्सी के पास, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् सरपंच महादेय जरिये ग्राम पंचायत खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् सचिव महोदय जरिये ग्राम पंचायत खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमान् अधिशाषी अभियंता महोदय जरिये पी.डब्ल्यू.डी. विभाग नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर ।
2. श्री कपूर चन्द सेठिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल 02 किता की कुल रकबा 06 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि है । अप्रार्थीगण प्रार्थी से रंजिश रखते हैं तथा प्रार्थी के विकलांग एंव वृद्ध व अकेला होने का फायदा उठाकर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के उक्त खाते की भूमि में होकर रास्ता निकालने पर आमादा हो रहे हैं। प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे एवं खाते

की भूमि में होकर रास्ता निकाल लिया जो प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में होकर जबरन ताकत के बल पर रास्ता नहीं निकाले, उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे जबरन प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2014 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट के खाते की भूमि पर जिस पर होकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । पुराने रोड की आड में प्रार्थी के खाते की आराजी में जबरन रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है । प्रार्थी अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त निर्मित रास्ते से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिए अप्रार्थी क्रम 2 व 3 को राजस्थान राज पंचायती अधिनियम, 1994 की धारा 109 के तहत दो माह के नोटिस की आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी अनपढ काश्तकार व्यक्ति है उसे अपील की मियाद बाबत् जानकारी के अभाव में यह अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका था । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्त्रागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी के खाते एवं कब्जे की है जिस पर अप्रार्थी के द्वारा सडक का निर्माण करवाया जा रहा है । प्रार्थी अपीलान्ट के खाते की आराजी में रेस्पोडेन्टगण को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष में था । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी अपीलान्ट में पक्ष में थी फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । पंचायत आवश्यक पक्षकार नहीं है वरन् फॉरमल पक्षकार है ।

इसलिए धारा 109 पंचायती राज एक्ट के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था । सडक निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मौके पर मौजूदा आम रास्ते पर सडक निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी अवरोध पैदा कर रहा है । अपीलान्ट के खाते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है । जनहित में रेस्पोडेन्ट ने कार्य किया है । अपीलान्ट ने धारा 109 पंचायती राज अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी नहीं किया है इसके अभाव में अपीलान्ट ने जो वाद एंव अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है वह मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.07.2014 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थी अपीलान्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 पेश किया था उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की ग्राम पीपरवाला की आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 की रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल 02 किता की 06 बीघा भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थीगण जबरन सडक का निर्माण कर रहे हैं । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी क्रम 4 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 101, 291, 478 एवं 507 जो राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक गैर मु0 रास्ता दर्ज है व रास्ता कायम है उसी स्थान पर पक्की सडक का निर्माण किया जा रहा है । प्रार्थी के खाते की आराजी में सडक का निर्माण नहीं किया जा रहा है । अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए धारा 109 पंचायतीं राज अधिनियम का नोटिस नहीं दिये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है ।

12. पत्रावली पर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 पेश किया है जिसके अनुसार खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 101 रकबा 2.06 बीघा भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 पेश की है जिसके अनुसार खाता संख्या 01 की खसरा नम्बर 291, 478 एवं 507 की आराजी रास्ते में दर्ज है । नक्शें की फोटो प्रतियॉ और कुछ स्वीकृतियों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं ।

13. प्रार्थी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करने में असमर्थ रहे हैं कि उनके खाते में दर्ज आराजी पर रेस्पोडेन्ट द्वारा सडक निर्माण कार्य किया जा रहा है जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किये हैं उसके अनुसार सरकारी आराजी जो कि रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है पर सडक निर्माण का कार्य कर रहा है जो जनहित में किया जा रहा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है । अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 को पंचायती राज अधिनियम के तहत धारा 109 का नोटिस भी नहीं दिया है जो अनिवार्य है ।

14. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2014 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा